क्रेडिट स्थानान्तरण (टी० ओ० सी०)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा (NIOS), अन्य राज्यों के मुक्त विद्यालय के माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक स्तर के पूर्व शिक्षार्थी जो पिछले पाँच वर्षों की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हों, वे बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर उत्तीर्ण हुए अधिकतम दो विषयों (अध्ययन एवं परीक्षा योजना समाहित) में प्राप्त अंक स्थानांतरित करवा सकते हैं। इसे हमारी योजना में क्रेडिट स्थानान्तरण (टी. ओ. सी.) कहते है। निम्नलिखित नियमों के अनुसार टी. ओ.सी. सुविधा का लाभ दिया जायेगा।

1. उक्त वर्णित बोर्ड से अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी अधिकतम दो विषयों में क्रेडिट स्थानान्तरण करा सकते हैं परन्तु ये दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण किये गये हों।
2. केवल उन्हीं विषयों में टी. ओ. सी. का लाभ दिया जाएगा जो बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की अध्ययन-योजना और परीक्षा-योजना में शामिल है।
3. इस बोर्ड की अध्ययन प्रणाली एवं परीक्षा प्रणाली में जो विषय हैं उन्हीं विषयों में टी. ओ. सी. का लाभ देय होगा।
4. प्रवेश आवेदन-पत्र में टी.ओ.सी. विषय, विषय कोड, बोर्ड कोड तथा प्राप्त अंकों का पूर्ण विवरण सही भरा जाना चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों के प्राप्त अंक निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अलग-अलग लिखें।
5. उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के प्रायोगिक विषयों में क्रेडिट स्थानान्तरण का लाभ उन्हीं शिक्षार्थियों को देय होगा जो उस विषय के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण हों।
6. निर्धारित बोर्ड द्वारा दी गई मूल अंक तालिका आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। आवेदन-पत्र के साथ मूल अंक तालिका संलग्न न करने पर टी.ओ.सी. का लाभ देय नहीं होगा। बाद में अथवा अलग से भेजी जाने वाली मूल अंक तालिका पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। टी.ओ.सी. का लाभ लेने वाले शिक्षार्थियों की मूल अंक तालिका वापस नहीं की जाएगी।
7. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में पंजीकरण के समय अगर शिक्षार्थी अतिरिक्त विषय लेगें तो उन विषयों में टी.ओ.सी. का लाभ नहीं मिलेगा।
8. क्रेडिट स्थानान्तरण (टी. ओ. सी.) के लाभ हेतु निर्धारित शुल्क (तालिका-3) आवश्यक रूप से जमा करवायें।

पुनः पंजीयन प्रवेश सत्र (2011-12)

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड 2011-12 के पंजीकृत शिक्षार्थी जो निर्धारित पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं हो कर पायेंगे वे सत्र 2016-17 में पुनः एक बार प्रवेश लेकर नियमानुसार पंजीकरण करा सकते हैं।

नोट :
पुनः पंजीयन प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी तालिका – 3 के अनुसार अध्ययन केन्द्र पर निर्धारित शुल्क जमा करवायें। विद्यमान (अध्ययन एवं परीक्षा योजना में शामिल) विषयों में क्रेडिट स्थानान्तरण (टी.ओ.सी.) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टी.ओ.सी. के लाभ हेतु निर्धारित शुल्क आवश्यक रूप से जमा करायें। शेष नियम यथावत् रहेंगे।

पुनः पंजीयन प्रवेश में क्रेडिट स्थानान्तरण (टी.ओ.सी) का लाभ

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण परीक्षा बोर्ड में पुनः पंजीयन प्रवेश पत्र लेने वाले 2011-2012 पंजीकृत शिक्षार्थी उत्तीण हुए अधिकतम चार विद्यमान(अध्ययन एवं परीक्षा योजना में शामिल) विषयों में क्रेडिट स्थानान्तरण (टी. ओ. सी.) का लाभ प्राप्त कर सकते है। टी.ओ.सी. के लाभ हेतु निर्धारित शुल्क आवश्यक रूप से जमा करायें। शेष नियम यथावत् रहेगें।

नोट :
(i) शिक्षार्थी टी.ओ.सी. के लिए प्रवेश के समय ही आवेदन करे, टी.ओ.सी. के लिए आवेदन-पत्र के साथ मूल अंक तालिका आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके बाद किसी टी.ओ.सी. के मामले पर विचार नहीं किया जायेगा।
(ii) टी.ओ.सी. विषय पंजीयन विषयों में से ही होने चाहिए।
(iii) टी.ओ.सी. के लाभ हेतु निर्धारित शुल्क आवश्यक रूप से जमा करवाएँ। उपर्युक्त शर्त्तें पूर्ण न करने पर शिक्षार्थी को टी.ओ.सी. का लाभ देय नहीं होगा, जिसकी अलग से कोई सूचना नही दी जाएगी।